



# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com



क्रमांक: प.11(3)सा. प्रशासन / ई-निविदा / 2022-2023 / 14675

दिनांक: 10/11/2022

## ई-निविदा प्रपत्र

( श्रम आधारित कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति ठेका)

(अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु)

विषय : ई-निविदा सूचना संख्या 04 / 2022-23

निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर ऑन लाईन प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय : दिनांक 10.11.2022 (2.00 PM)  
ऑन लाईन तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय : 21.11.2022 (2.00PM) बजे तक  
निविदा संबंधी मूल डी.डी. प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय : दिनांक 21.11.2022 ( 3.00 PM ) बजे तक  
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय : दिनांक 22.11.2022 (3.00PM)

निविदा जारी करने हेतु फर्म का नाम :- .....

अनुमानित लागत : 30,00000 (तीस लाख रूपये मात्र)

अमानत राशि : 60000 (साठ हजार रूपये मात्र)

106



ई-निविदा प्रपत्र 04/2022-23

(तकनीकी प्रस्ताव)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में अकुशल, अर्द्धकुशल कुशल एवं उच्च कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम.....
2. डाक का पता.....
3. फोन/मोबाईल नंबर.....
4. ई-मेल.....
5. खाता संख्या.....
6. बैंक का नाम.....
7. IFSC Code.....
8. किसको सम्बोधित किया -कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
9. सन्दर्भ : आपकी ई-निविदा सूचना क्रमांक 04/2022-23 दिनांक 10.11.2022 हम कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक 10.11.2022 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :-

क्र.सं.	विवरण	रजि0 सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इन्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

- 11 पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी को कम से कम तीन वर्षों का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों में कार्मिक उपलब्ध कराने का अनुभव का प्रमाण-पत्र।



12 एजेन्सी अपने संविधान की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करें। (यदि हो तो संलग्न करें )

13 फर्म का टर्न ओवर 30 लाख रुपये पिछले तीन वर्षों का औसत तथा तीन वर्ष की सनदी लेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें फर्म की वित्तीय स्थिति के प्रपत्र संलग्न हो, को प्रस्तुत करना होगा।

14 ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/ राज्य सरकार के कार्यालय/पीएसयू/ विश्वविद्यालय भवनों में सफाई कार्य व्यवस्था का गत तीन वर्षों में कम से कम किसी एक वर्ष में रुपये 15 लाख की लागत का एकल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। संबंधित विभाग/संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण-पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

15 तकनीकी बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राईस बिड खोली जायेगी।

16 ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ -पत्र (100 रुपये के नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर)

17 कार्य करने हेतु कुशलता के स्तर के अनुसार अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने का शपथ पत्र 100/- नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर (ANNEXURE- B)

18 बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .....दिनांक.....  
.....(जारी कर्ता बैंक का नाम) रुपये 60000/-के लिए **अमानत राशि** के पेटे संलग्न है। जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो।

19 बैंक ड्राफ्ट सं० .....दिनांक .....राशि 1000/- .....  
.....(जारी कर्ता बैंक का नाम) जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो (निविदा शुल्क के पेटे संलग्न )

20 बैंक ड्राफ्ट सं० .....दिनांक .....राशि 500/-.....  
..... (जारी कर्ता बैंक का नाम) जो MD RISL, Jaipur को देय हो वास्ते (प्रोसेसिंग फीस के पेटे संलग्न )

निविदादाता के हस्ताक्षर



तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची / चैक लिस्ट

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	क्रमांक अंकित करे	संलग्न पृष्ठ संख्या
1	Details of Bidder		
	(i) Name		
	(ii) Address		
	(iii)Phone No.		
	(a) OfficeResidence		
	(iv)Mail ID		
2	Company may submit Authorizations Letter to sign or participating in tender.		
3	PAN No.		
4	GST Registration No.		
5	Labour Licence 1970 No.		
6	EPF Registration No.		
7	ESI Registration No.		
8	Firm/Co-Operative 1958 or Indian Partnership act 1932 or Indian Company Act Registration No.		
9	Bank A/C Details		
10	(i) Account No.		
11	(ii) Bank Name and Branch		
12	Proof of Payment of Tender fee, Bid Security & RISL Processing Fee		
13	ब्लेक लिस्टेड न होंने व निविदा घोषणा प्रपत्र (100 रु. के स्टाम्प पर)		
14	अनुभव प्रमाण-पत्र		
15	पिछले तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर रूपये 30 लाख (Balance Sheet & IT Returns)& Single order of Rs 15 Lakh similar work execution in Central/State govt /autonomous body /govt university		
	(i) Year 2019-20		
	(ii) Year 2020-21		
	(iii) Year 2021-22		
16	Technical Undertaking		
17	Financial Undertaking		
18	Annexure A		
19	Annexure B		
20	Annexure C		
21	Annexure D		
22	Form No. 1		

496

निविदादाता के हस्ताक्षर





## पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

वेबसाईट: [www.shekhauni.ac.in](http://www.shekhauni.ac.in) ई-मेल: [reg.shekhauni@gmail.com](mailto:reg.shekhauni@gmail.com)

### Instruction to Bidders for Online Bidding (E-tendering)

#### **Information to be disseminated to prospective bidders regarding online Bidding.**

1-	The Bid document can be downloaded from web site <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a> & submitted online in electronic format on same web site.
2-	Office Address :- Office of <b>Registrar, Pandit deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar</b> <b>Phone No : 01572 232503</b> <b>Email : <a href="mailto:reg.shekhauni@gmail.com">reg.shekhauni@gmail.com</a></b>
3-	To participate in online Bids, Bidders will have to produce Digital Signature Certificate (type II or type III) as per information Technology Act-2000 using which they can sign their TCS safe crypt, N code etc. Or they may contact e- procurement Cell Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance : Bidder who already have a valid Digital Certificate need not require to procure a new Digital Certificate contact No. : 0141-4022688 (Help desk 10 Am to 6 Pm on all working days) E Mail : <a href="mailto:eproc@rajasthan.gov.in">eproc@rajasthan.gov.in</a> address: e- Procurement Cell, RISL, Yojna bhawan, tilak Marg, C-Scheme, Jiapur.
4-	Before electronically submitting the Bid, it should be ensured that all Bid papers including conditions of contract etc. are Digitally signed by the bidder and filled up as per the bid guidelines.
5-	Training for the bidders on the usage of e-tendering system is also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested for training may contact e- procurement Cell, RISL for booking the training slot.
6-	Bidders are also advised to refer "Bidders mannul" available under "Downloads" section for further details about the e-tendering process.
7-	RISL Processing fees Rs. 500 As per bid document [in addition to Bid form Fees & Bid Security (EMD)] will be charged .
8-	<b>The following all document must be attached with Technical Bid (First Cover) failing which Bid will be out rightly rejected.</b> a. Scanned copies of DD/Bankers Cheques of Bid fee, Processing fee& Bid Security Declaration b. Scanned copies of Bid document form along with conditions of tender, Special Terms & conditions & demanded certificates duly signed and sealed. c. GST Registration certificate, GST declaration ( as per Annexure 2), Copy of GSTR- and GSTR-3b up to due date d. <b>Pan Card Copy.</b> e. should attach annual financial turnover of last 3 financial years duly certified by a Chartered Accountant and Single order of Rs 15 Lakh similar work execution in Central/State govt /autonomous body /govt university in last 3 financial years.. f. Any other documents which the bidder wants to submit and/or any document as per tender. In absence of the above or wrongly placing the required documents in any other envelope or not mentioning the desired information at the specified place/ column, the bid will not be considered and will be rejected.
9-	Incomplete & conditional bid in any respect will be rejected without any information.
10-	The Registrar Pandit Deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar reserve the right to reject all/ any part of bid received from the firms/ Bidders without assigned any reason there of.

Registrar





# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)



वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

## Important

### A. Eligibility Criteria for Bidders :-

Sealed tenders are invited under Two Bid system (Part-I Technical Bid and Part-II : Financial Bid) form पंजीकृत व अनुभवी बोलीदाता/संवेदक With the following criteria :-

1. Bidder must be a Proprietary/Partnership firm/Limited Company/Agency/Society legally constituted or registered under relevant Act.
2. The Bidder should have the license of Minimum 150 Persons at the time of bid submission under the contract Labour (Regulation & Abolition) Act. 1970.
3. The Bidder must be registered with EPFO, ESI and such other Tax Authorities as income tax and for which the agency has to submit necessary documents such as PAN and GST Registration etc.
4. The Bidder must have an average annual turnover of Rs. 30.00 Lacs or more only during the last three financial years (2019-20, 2020-2021 and 2021-22) in the books of accounts. For this bidder submit balance sheet and I.T. Return and Single order of Rs 15 Lakh similar work execution in Central/State govt /autonomous body /govt university in last 3 financial years.
5. The Bidder must have experience of atleast three years of providing manpower in the offices of Central govt./State govt/PSU/Govt Universities.
6. The bidder must submit an undertaking that the Man Power agency has not been black listed and no case is pending with the police or in court of law against their name.
7. Tender fees 1000/- (in the form of Bankers Cheque/demand draft in favour of Registrar, Pandit deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar and RISL Processing fee 500/- (by way of banker cheque/demand draft in favour of MD RISL, Jaipur) to submitted Physically at the office of Registrar, Pandit deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar Scan copy of paid amount must be uploaded online in technical bid. (for detail procedure refer terms & condition of tender document.)
8. All the documents as stated above towards eligibility must be self-attested & stamped and attached to the Technical Bid.
9. Financial tender will be opened only for the bidders who are successful in the technical tender.
10. The Technical Bid Check list is part of this Tender. Therefore, it is Mandatory to attach all the records/documents required in it along with the Technical Tender, otherwise the Tender can be cancelled.

### B. Pre Bid Meeting :-

A pre bid meeting will be held on date 17-11-2022 at 11.00 AM in University for seeking clarification on the tender conditions if any interested bidders are advised to participate in the pre-bid meet and survey the institute and offer.

### C. Scope of work of the contractor :-

The Contractor shall have to provide the manpower in the institute at an estimated cost of Rs. 30.00 Lacs approximately per annum which may increase or decrease as per actual need.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर





पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: प.11(3)सा. प्रशासन/ई-निविदा/2022-2023/14675

दिनांक 10/11/2022

**ई-निविदा प्रपत्र 04/2022-23**  
(वित्तीय प्रस्ताव)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु निविदा।

कुलसचिव

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,  
सीकर

विषय:- अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु वित्तीय प्रस्ताव।

महोदय,

आपकी ई निविदा 04/2022-23 दिनांक 10.11.2022 के कम में चाहे अनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु संविदा दरें निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

क.स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रति दिन	E.P.F. दर 13. प्रतिशत	E.S.I. दर 3. 25 प्रतिशत (यदि लागू हो तो)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति ईकाई प्रति दिन राशि रुपये में)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इलेक्ट्रिशियन	उच्च कुशल	333/- प्रतिदिन एवं 8658/- प्रतिमाह					
2	प्लम्बर	उच्च कुशल	333/- प्रतिदिन एवं 8658/- प्रतिमाह					
3	पुस्तक परिचर	अर्द्धकुशल	271/- प्रतिदिन एवं 7046/- प्रतिमाह					
4	रसोइया (कुक)	कुशल	283/- प्रतिदिन एवं 7358/- प्रतिमाह					
5	वेटर	अर्द्धकुशल	271/- प्रतिदिन एवं 7046/- प्रतिमाह					
6	उद्यान निरीक्षक	कुशल	283/- प्रतिदिन एवं 7358/- प्रतिमाह					

106



7	बागवान	अकुशल	259 /- प्रतिदिन एवं 6734 /- प्रतिमाह				
8	श्रमिक	अकुशल	259 /- प्रतिदिन एवं 6734 /- प्रतिमाह				
9	कम्प्युटर ऑपरेटर	उच्च कुशल	333 /- प्रतिदिन एवं 8658 /- प्रतिमाह				
10	सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट	उच्च कुशल	333 /- प्रतिदिन एवं 8658 /- प्रतिमाह				

**नोट:—उपरोक्त BOQ के अन्तर्गत निविदादाता को कॉलम संख्या 5 एवं 8 में राशि (प्रति ईकाई प्रति दिन) अंकित कर अपनी दर प्रस्तुत करनी है।**

2 संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST)राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

3 (A) वित्तीय बोली में समान दरें प्राप्त होने पर कमेटी को किसी बोलीदाता की दरों को अनुमोदित करने या नही करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय कमेटी का होगा जो सर्वमान्य होगा। बोली कमेटी किसी भी शर्त हेतु आंशिक/पूर्ण छूट (Relaxation) देने में सक्षम होगी। RTPP Act 2012की धारा 2(13) के अनुसार उपापन समिति द्वारा बिना किसी वैध प्रतिफल के न्यूनतम बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। विश्वविधालय से संबंधित अत्यन्त आवश्यक सेवाये होने के कारण अलाभप्रद व अव्यावहारिक बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता सर्विस चार्ज भरते समय आयकर TDS की कटौतियों का ध्यान रखेंगे।

(B) शर्त संख्या 3(A) की अनुपालना नहीं की जाने पर बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

(C) वित्तीय बोली में समान दरें प्राप्त होने पर कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा। इस संबंध में बोलीदाता के टर्नऑवर, अनुभव व स्थानीयता को प्राथमिकता दी जावेगी।

(D) बिन्दु संख्या 3(A) की अनुपालना के बाद सफल बोलीदाताओं में से दोनो श्रेणियों की कुल दरो के अधार पर सफल बोलीदाता का चयन किया जायेगा।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील**





क्रमांक: प.11(3)सा. प्रशासन/ई-निविदा/2022-2023/14675

दिनांक: 10/11/2022

**अकुशल, अर्द्धकुशल कुशल एवं उच्च कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु  
निविदा नियम एवं शर्तें**

**टिप्पणी :-** निविदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाएँ भरते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/2000पार्ट/7182 दिनांक 06.03.19 में अंकित शर्तें भी संवेदक पर लागू रहेगी। वित्त (G&T) विभाग एवं राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक 30.04.2018 की पालना किया जाना आवश्यक होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
4. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुये संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
5. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गयी राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गयी राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुयी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।

10/11



8. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
9. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
13. प्रस्तावित दरें निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। नियत अवधि के बाद दोनो पक्षों की सहमति पर ही नियमानुसार अनुबन्ध को बढ़ाया जा सकेगा।
14. निविदाएँ पृथक-पृथक अपलोड करनी होगी। प्रथम तकनीकी प्रस्ताव एवं द्वितीय वित्तीय प्रस्ताव पृथक-पृथक रूप से निविदाकार द्वारा अंकित किया जाना आवश्यक है। क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जावेगा। उनमें वैध पाई गई निविदाओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोलकर मूल्यांकन किया जावेगा।
15. दरों में ई.एस.आई, ई.पी.एफ. एवं प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज की दरें अंकित करें। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लिये जाने वाले जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से भुगतान किया जावेगा इनको दर में शामिल नहीं किया जावे।
16. प्लेसमेंट एजेन्सी का वस्तु एवं सेवा कर विभाग में जी एस टी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
17. श्रमिकों को विभाग द्वारा तय मजदूरी से कम दर देने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
18. राज्य सरकार द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्मिक/सेवायें उपलब्ध कराने की स्थिति में अनुबन्ध की सेवाओं को अनुबन्ध की अवधि के मध्य समाप्त किया जा सकेगा जिसका किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
19. पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी को कम से कम तीन वर्षों का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशासी निकायों में कार्मिकों उपलब्ध कराने का अनुभव होना



20. एजेन्सी अपने संविधान की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करें।
21. फर्म का टर्न ओवर पिछले तीन वर्षों का औसत 30 लाख वित्तीय वर्ष 2019-20 2020-21 एवं 2021-22 का तथा तीन वर्ष की सनदी लेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें फर्म की वित्तीय (Balance Sheet etc.) स्थिति के प्रपत्र संलग्न हो, को प्रस्तुत करना होगा।
22. फर्म द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 15 लाख रुपये का एकल कार्य संपादन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. निविदादाता द्वारा दी गयी अलाभप्रद निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। समान दर प्राप्त होने की स्थिति में टर्न ओवर, अनुभव एवं अन्य कारकों के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

### भुगतान एवं शास्ती :-

24. विश्वविद्यालय द्वारा एजेन्सी को बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा एजेन्सी भी कार्मिकों को रेखांकित बैंक द्वारा भुगतान करेगी, यह प्रमाण-पत्र निविदा के समय एजेन्सी द्वारा दिया जावे। प्रतिमाह एजेन्सी को धनराशि जारी करने से पूर्व गत माह कार्मिकों को जारी किए गए बैंकों का विवरण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत करना होगा जिससे संतुष्ट होने पर कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा अगली धनराशि का बैंक जारी किया जाएगा। एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिकों से किसी भी प्रकार की भुगतान से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा, इसके उपरान्त ही भविष्य में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
25. एजेन्सी को किये जाने वाले भुगतान में से नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य कटौतियों की जावेगी।
26. अनुमोदक प्रदायक के बारे में यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा निविदा की शर्तें भलीभांति समझ ली गई हैं। यदि कोई संदेह हो तो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से पूछताछ कर दूर करें।
27. निविदाकार निविदा स्वीकृति के बाद कार्य आदेश मिलने के एक सप्ताह में निर्धारित बताए गए स्थानों पर सेवायें उपलब्ध करा देगा। संविदा के अन्तर्गत कार्मिकों हेतु आदेश विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर दिये जायेंगे। कार्मिकों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप कम या अधिक हो सकेगी।
28. जिन कार्मिकों की सेवाओं को उपलब्ध कराया जावेगा उनकी समय पर उपस्थिति और कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक होने पर ही मानदेय का भुगतान किया जावेगा यह रिपोर्ट प्रतिमाह की अंतिम तिथि को संबंधित नियंत्रक अधिकारी द्वारा दी गई ही मान्य होगी।
29. कार्मिकों के विलम्ब से आने और निर्धारित समय पर काम नहीं करने एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा एजेन्सी को सूचित किया जावेगा कि उसके स्थान पर अन्य कार्मिक उपलब्ध करावे अन्यथा एजेन्सी को देय राशि में से आनुपातिक रूप से कटौती की जावेगी। इसके साथ ही कार्मिक किसी भी प्रकार से अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है एवं उसकी लापरवाही से कार्यालय को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अथवा उसकी जमा प्रतिभूति राशि में से हानि के अनुपात में राशि की कटौती की जावेगी।
30. निविदाकार निविदा की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करें। निविदादाता द्वारा अंकित अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।

106



31. सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध निष्पादित करना पड़ेगा और निविदा की यथावत कियान्विति के लिए संविदा की लागत का 5 प्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 1,50,000/-रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। अमानत राशि धरोहर राशि में समायोजित कर ली जावेगी जो अनुबंध की अवधि समाप्ति पश्चात् लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
32. निविदा को स्वीकार करने में यह आवश्यक नहीं कि यह न्यूनतम हो। कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा। समान दर की स्थिति में निविदा स्वीकार करते समय पूर्व कार्यानुभव/पूर्व में प्रदान की गई संतोष जनक सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
33. निविदा की शर्तों का पालन न करने पर अनुबंध तुरंत समाप्त कर दिया जावेगा तथा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से रोक लिया जावेगा एवं उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं एजेन्सी का होगा।
34. संविदा के संबंध में उत्पन्न हुए सभी विवादों के निर्णय का अधिकार कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के पास सुरक्षित होगा जिनका निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।
35. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा लागू किसी भी नियम/कानून आदि के तहत न्यूनतम मजदूरी आदि का भुगतान तथा देय कर/शुल्क/पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का भुगतान, यदि देय हों तो, सेवा प्रदाता एजेन्सी को करना होगा। विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
36. कार्य हेतु लगाये गये कार्मिक को बदलने का अधिकार सेवा प्रदाता एजेन्सी का होगा किन्तु इसका पूर्व अनुमोदन विभाग से कराना होगा।
37. अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारू व सन्तोषजनक रूप से पूरे न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य सेवा प्रदाता एजेन्सी के हर्ज-खर्च पर अन्य एजेन्सी/साधन से कार्य करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय विभाग को वहन करना पडा तो वह राशि सेवा प्रदाता एजेन्सी से वसूली योग्य होगी।
38. कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में विभाग को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दे।
39. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये कार्मिक के चरित्र एवं ईमानदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी। यदि कार्मिक का कार्य सन्तोषप्रद नहीं होता है तो उसे बदलने की सूचना देने के 24 घण्टे में कार्मिक को बदलना होगा।
40. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लगाये गये कार्मिक को साफ-सुथरा रहना होगा तथा वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भवन परिसर में धूम्रपान नहीं करेगा। कार्यालय-ड्यूटी पर किसी प्रकार का नशा आदि भी नहीं करेगा तथा ना ही करके आयेगा।
41. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लगाये गये कार्मिक का व्यक्तिगत विवरण (मय पासपोर्ट आकार का फोटो) विभाग के रिकॉर्ड हेतु ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व विभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कार्मिकों के तकनीकी एवं कुशलता के स्तर यथा अकुशल, अर्द्धकुशल कुशल एवं उच्च कुशल होने के प्रमाणन सम्बन्धी दस्तावेज भी ठेका प्रारम्भ या कार्यादेश जारी होने पर प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है।
42. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कार्मिक के अच्छे चरित्र की प्रमाणिकता देते हुये उनके स्थान एवं वर्तमान निवास की जानकारी समग्र-समग्र पर विभाग को देनी होगी।



43. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय कानून/नियम आदि की पालना का पूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी का होगा।
44. निविदा स्वीकृत होने के अन्दर सात दिवस में 500/- ₹0 राशि के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका समस्त खर्चा सेवा प्रदाता एंजेसी को करना होगा। जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि सन्तोषजनक अनुबन्ध समाप्ति के बाद लौटाई जा सकेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
45. फर्म के संबंध में—
1. (अ) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा की जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
  - (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार को रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
46. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
47. सुपुर्दगी अवधि :- बिडदाता, जिसकी बिड स्वीकार की होगी उसे कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से आदेश प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर कर्मी उपलब्ध कराने होंगे।
48. बयाना राशि का समपहरण :- बयाना राशि को निम्नालिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :
- (1) जब बिडदाता बाली खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
  - (2) जब बिडदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
  - (3) जब बिडदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
  - (4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मर्दों को प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
49. (1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-
- (1) सफल बिडदाता को निविदा स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिनके लिए बोलियां स्वीकार की गयी हैं, उनके वार्षिक मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति करार-पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करानी होगी।
  - (2) बिड के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
  - (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

106



(4) प्रतिभूति निक्षेप का समर्पहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-

(क) जब संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बिडदाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग द्वारा उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त () बिडदाता को निःशुल्क दी जाएगी।

50. क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन कार्य/वस्तुओं के लिए बिडदाता ने बिड दी है। उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान/कार्य की मदों में वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

51. बिडदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एकल स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

52. भुगतान प्रक्रिया :-

i. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

ii परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):- परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर / सेवा के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:-

A. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%

B. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक -5%

किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए

C. विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु -7.5%

विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

D. विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए -10%

E. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

F. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10%होगी।



G. यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

H. यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

53. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को कुलपति, विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा। जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

54. निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित है।

55. विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

56. इस अनुबन्ध का न्याय क्षेत्र "सीकर" होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



## निविदा घोषणा पत्र

खुली निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं वास्तव में खुली निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/ उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

मुझे/हम यह घोषणा करते हैं कि निविदा प्रपत्र में संलग्न विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन संबंधी सभी प्रकार के दस्तावेज सही हैं तथा संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार जारी किये गये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपद्धत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



## ब्लेक लिस्टेड न होने का प्रमाण-पत्र

मैं/हम.....  
.....शपथ पूर्वक घोषण करते हैं कि मुझे/हमारी संस्था.....  
..... को किसी भी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

4/10/16

हस्ताक्षर निविदादाता



### सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, -

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

### हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-


- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।



निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं ।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है ।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।



स्थान : .....

तारीख : .....

निविदादाता के हस्ताक्षर



अनुलग्नक 'स'

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपील अधिकारी का पद एवं पता..... कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपील अधिकारी का पद एवं पता..... प्रबंध बोर्ड सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व -अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वित्तिय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा - 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।  
अर्थात:  
क. उपापन की आवश्यकता का अवधारण  
ख बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध  
ग. यह विनिश्चय की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं  
घ. निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण  
ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्रारूप.**— (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं ।  
(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ



(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

**5. अपील फाइल करने के लिए फीस.-**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

**6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.-**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं. ....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) ..... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम : .....

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो : .....

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....

.....

.....

. (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : .....

.....

.....

स्थान : .....

तारीख : .....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

2013



## निविदा की अतिरिक्त शर्तें

### 1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

- ### 2. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.-
- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

#### परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.-

- (1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।
- (2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी -

- (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20



(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.-

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील